**भा0कृ0अ0प0–केन्द्रीय भेड एवं उन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर**
**तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान – 304501**

फा.सं. 6(228)एसपी/2010/2110 दिनांकः ~~29.10.~~2018

**नीलामी सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के फार्म क्षेत्र में अनुपयोगी लगभग 600 क्विंटल खडे व नीचे गिरे सूखे पेडों की नीलामी अधिकतम बोली के आधार पर सार्वजनिक निलामी के द्वारा दिनांक ~~17~~.11.2018 को प्रातः 11.00 बजे संस्थान के फार्म अनुभाग पर की जायेंगी। नीलामी की सूचना संस्थान की वेब साईट http://www.cswri.res.in पर भी देखी जा सकती है।

**संस्थान परिसर में खडे व नीचे गिरे सूखे पेडों की लकडियों की नीलामी की नियम एवं शर्ते :–**

1. उक्त नीलामी उच्चतम बोली के आधार पर की जावेगी।
2. खडे व नीचे गिरे सूखे पेडों की लकडियों की प्रति क्विंटल दर से बोली लगाई जावेगी।
3. भाग लेने वाले बोलीदाताओं को रू.2000/– बोली में भाग लेने से पूर्व संबंधित समिति को जमा करवाना होगा।
4. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली आधार पर कुल कीमत का चौथाई हिस्सा संस्थान खाते में डिजिटल माध्यम से तुरन्त जमा करवानी होगी। यह राशि लकडियों के तुलाई के अंतिम खेप में समायोजित कर ली जावेगी।
5. बोली छूटने के बाद यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती है तो उस पर संस्थान द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. कार्य के दौरान संस्थान सम्पत्ति का नुकसान या संस्थान कार्य में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में जमा राशि से नुकसान भरपाई की जा सकती है।
7. प्रक्षेत्र में पडी उपयोगी शीशम को छोड कर सभी खडी/गिरी सूखी लकडियों जैसे–नीम, सीरस, अरडू इत्यादि को उठाना होगा। साथ ही आवासीय, कार्यालयों एवं सडकों के किनारे पर पडी सूखी लकडियों को प्राथमिकता पर उठाना होगा।
8. प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि के आदेशानुसार सूखी लकडी **"जहॉ हैं, जैसी है"** की अवस्था में उठानी होंगी।
9. 3 इंच माटाई से उपर के व्यास की सभी लकडियों को उठाकर ले जाना होगा।
10. कार्य आदेश से 30 दिन के भीतर–2 लकडियॉ उठानी होगी।
11. सूखी लकडियों की कटाई, ढुलाई व तोलने आदि कार्य के लिए श्रमिक स्वयं बोलीदाता के होंगे। तुलाई संस्थान के धर्म कांटे पर समिति के समक्ष की जावेगी। धर्म कांटे पर किया गया तोल बोलीदाता को मान्य होगा। लकडियॉ ट्रेक्टर में भरने से पूर्व खाली ट्रेक्टर मय ट्राली को तोल संस्थान के धर्म कांटे पर करवाना होगा।
12. उक्त कार्य में काम आने वाले औजार व उपयोगी यंत्र आदि की व्यवस्था स्वयं बोलीदाता को करनी होगी, तथा लकडियॉ ले जाने के लिए ट्रेक्टर मय ट्रॉली भी स्वयं बोलीदाता का होगा।
13. सूखी लकडियों को तुलवाने के उपरान्त तोल अनुसार पूर्ण भुगतान संस्थान के फार्म अनुभाग में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करने के पश्चात् लकडियों को बाहर ले जाने के लिए गेट पास जारी किया जावेगा।
14. बोलीदाता को कार्य के दौरान भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यनतम मजदूरी का भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी। यदि भुगतान संबंधित किसी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान की जिम्मेदार स्वयं बोलीदाता की होगी। साथ ही बाल श्रमिका कानून का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
15. बोलीदाता को कार्य में लगाये जाने वाले श्रमिकों की पहचान फार्म अनुभाग एवं सुरक्षा अनुभाग के अधिकार/प्रतिनिधि को करवाना आवश्ययक है।
16. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी। इस हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी।
17. इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय में प्रभारी, फार्म अनुभाग से व्यक्तिगत संपर्क किया जा सकता है।
18. लकडियों की कटाई, ढुलाई आदि समस्त कार्य प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधियों के देखरेख में उनके दिशा–निर्देशानुसार करना होगा।
19. संस्थान को बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

(हर्षित अग्रवाल)
प्रशासनिक अधिकारी

वितरणः–

1. नगरपालिका मालपुरा/टोडारायसिंह
2. ग्राम पंचायत डिग्गी/धोली/टोरडी/कडीला
3. पंचायत समिति मालपुरा
4. प्रभारी एकेएमयू (संस्थान वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए)
5. सभी सूचना पट्ट
6. प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग
7. प्रभारी, फार्म अनुभाग
8. मालपुरा मण्डी